फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

1. जोगाराम पुत्र श्री शंकराराम नायक साकिन सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. छगनाराम पुत्र श्री शंकराराम नायक साकिन सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. नेनूराम पुत्र श्री मंगलाराम नायक साकिन सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

बनाम

1. पंकज शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र ब्राह्मण निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. त्रिलोक शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र ब्राह्मण निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. सरोज देवी पत्नि श्री राजेन्द्र ब्राह्मण निवासी सारूण्डा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा (बीकानेर)।

किस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्याः 45 / 2023
GCMS No. 2023 / 59

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.07.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 24.04.2023 के विरूद्व पेश हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2, 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी जरिये वकालतनाम उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज शामिल पत्रावली किये। विवादित भूमि अपीलांट्स के संयुक्त खाते रोही ग्राम सारूण्डा तहसील नोखा में स्थित खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलांट्स के पुराने खसरा नंबर 653 मीन तादादी 59 बीघा 2 बिस्वा कृषि भूमि रिकार्ड दर्ज रही है। उक्त खसरा नंबर की कुछ भूमि रास्ता के पश्चिम की तरफ स्थित है, जिस पर अपीलांट्स काबिज है तथा परिवारजन की आवासीय ढाणियां बनी हुई है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेंट के खसरा नंबर 653 मीन तादादी 59 बीघा 2 बिस्वा से होकर गुजर रहे सारूण्डा से नोखा रास्ता की पश्चिम की तरफ की भूमि को राजस्व मानचित्र व रिकार्ड में सहवन से रेस्पो. संख्या 1 ता 3 के पूर्वज लूणाराम के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दी है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज लूणाराम के पुराने खसरा नंबर 593 तादादी 35 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड रही है,	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जो कि अपीलांट्स के ख.नं. 653 से होकर गुजर रहे रास्ते से दूर स्थित है। उनके नये ख.नं. उसी स्थान पर पैमूद किये जाने न्यायोचित थे, लेकिन लिपिकीय भूलवश अपीलांट्स की संयुक्त खाते की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 653 से होकर गुजर रहे रास्ते की पश्चिम तरफ की भूमि पर तरमीम कर दिये गये हैं। रेस्पो. सं. 1 ता 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा–111, 128 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए पत्थरगढ़ी का आदेश दिनांक 24.04.2023 पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट्स को अपील पेश करने तथा सुनवाई किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं जवाब प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का अवलोकन एवं मनन किया गया। अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थियों को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलांट श्री अजय कुमार ओझा ने दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर अपील 24.04.2023 विधि विरूद्ध, गलत, असंगत एवं मनमाने तौर पर किया गया है। जिस भूमि की पत्थरगढ़ी करवाई जानी हैं उक्त भूमि अपीलांट्स के पुराने ख.नं. 653 का ही हिस्सा है तथा रेस्पो. सं. 1 ता 3 का उक्त पत्थरगढ़ी से संबंधित भूमि पर ना तो कब्जाकाश्त है और ना ही कोई लेना देना अथवा सरोकार हैं, ना ही कभी रहा है। मौके पर अपीलांट्स की पक्की ढाणिया बनी हुई है तथा आबाद है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के समय सहवन से अपीलांट्स के पुराने ख.नं. 653 तादादी 59 बीघा 2 बिस्वा से होकर गुजर रहे सारूण्डा से नोखा रास्ता की पश्चिमी सींव की तरफ की भूमि को राजस्व मानचित्र व रिकार्ड में सहवन से रेस्पो. संख्या 1 ता 3 के पूर्वज लूणाराम के नाम दर्ज कर दी, जबकि इनका उक्त भूमि से कोई सरोकार नही हैं। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कि किसी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाने से पूर्व जैर अपील भूमि के चारों तरफ के सीव पड़ोसियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात ही कोई आदेश पारित करें। रेस्पो. सं. 1 ता 3 के द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जैर अपील आदेश पत्रावली में अपीलांट्स को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया तथा न्यायालय को मुगालते में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट्स को सुने बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश खिलाफ कानून होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण तिवाड़ी ने दौराने बहस अवगत कराया कि जैर अपील आदेश विधिसम्मत हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई भूल कारित नहीं की है। जैर अपील भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि हैं तथा रेस्पोडेन्ट्स को अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनी अधिकार है। सेटलमेंट विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं की गई है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी नोखा के आदेश दिनांक 24.04.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जैर अपील आदेश पत्रावली में पक्षकार नहीं बनाया हैं, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.04.2023 निरस्त किया जाता हैं तथा अपील अपीलांट्स उपखण्ड अधिकारी नोखा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि अधिनस्थ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय पत्रावली में अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर